

# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय जीरापुर

पचोर रोड़, जीरापुर, जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र. 465691

College Code:- 2608

E-Mail ID:- hegcjeeraj@mp.gov.in

क्रमांक / 487 / 2020-21

जीरापुर, दिनांक 19.01.2021

## -:: निःशुल्क स्टेशनरी हेतू विज्ञापन सत्र 2020-21 ::-

महाविद्यालय में सत्र 2020-21 हेतु शासन से अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी प्रदाय योजनांतर्गत रू 500/- की स्टेशनरी का सेट क्रय करने हेतु भाव पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। भाव पत्र स्पष्ट एवं स्वच्छ तथा निर्धारित प्रपत्र में ही होना चाहिए। अपठनीय एवं अपूर्ण भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा तुलनात्मक पत्रक में शामिल नहीं किया जावेगा। भाव पत्र निम्नांकित विवरण के साथ विभागीय वेबसाइट के प्रकाशन के 07 दिवस में महाविद्यालय में स्वयं/कोरियर/स्पीड पोस्ट से कार्यालयीन समय में प्राप्त होना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। भावपत्र में ओवर राइटिंग, काट-छोट करना मान्य नहीं होगा। भाव-पत्र साफ स्वच्छ स्पष्ट होना चाहिये।

क्र.	स्टेशनरी सामग्री का नाम	दर प्रति नग/दर्जन	रिमार्क
1	Classmate Notebook soft cover Single Line 172 Page 24×18		
3	Classmate Notebook soft cover Single Line 172 Page 21×17		
4	College Bag		
5	Calculator Citizen CT 512		
6	Portfolio file Folder Document bag 12-20 Folder		
7	Stepler Kangaro 10		
8	Stepler Pin Box		
9	Pencil - Doms		
10	Erase - Doms		
11	Sharpener- Doms		
12	Plastic Scale 12 Inch Waterman		
13	Cello Butter Flow Blue pen		
14	Montex Magatop blue pen		
15	Cello Fine Grip Blue pen		

1. भाव पत्र के साथ वाणिज्यकर विभाग टेन नम्बर अंकित होना अनिवार्य है।
2. भावपत्र में सभी प्रकार के टैक्स जोड़ कर ही भाव दिया जाये।
3. समय सीमा में प्राप्त भाव पत्र ही मान्य किये जावेंगे। भाव पत्र के साथ उत्तम उक्त सामग्री का नमूना प्रदाय करना होगा।
4. समय सीमा तथा आदेशानुसार स्टेशनरी प्रदाय नहीं करने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
5. उपरोक्त दिये गए प्रपत्र अनुसार ही भाव-पत्र प्रदाय करें।
6. लिफाफे पर स्टेशनरी प्रदाय निविदा 2020-21 अनिवार्य अंकित करें।
7. भाव पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत करना तथा उपरोक्त के अलावा प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य बंधनकारी होगा।
8. भुगतान ई-पेमेंट से होगा अतः बैंक खाता क्रमांक एवं आय.एफ.एस.सी कोड अंकित होना अनिवार्य है।
9. म.प्र. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-14-2012/अ-11 दिनांक 28.07.2015 द्वारा भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम-2015 के तहत स्टेशनरी आदेश प्रदाय किये जावेंगे
10. स्टेशनरी प्रदाय एफ. ओ. आर. शासकीय महाविद्यालय जीरापुर जिला राजगढ़ म0प्र0 होगा।

(श्री पुष्पेन्द्र कुमार अहिरवार)  
ग्रंथपाल  
शासकीय महाविद्यालय जीरापुर

(डॉ. वी. बी. खरे)  
PRINCIPAL  
पंचोर, प्राचार्य  
Govt. College,  
शासकीय महाविद्यालय जीरापुर  
JEERAPUR, Dist. Raigarh (M.P.)